

यूइंग क्रिश्चियन महाविद्यालय, इलाहाबाद

छात्र - संघ चुनाव: 2016 - 2017

कक्षा वर्ग प्रतिनिधि हेतु अर्हताएं

कक्षा वर्ग प्रतिनिधि होने हेतु प्रत्येक छात्र- छात्रा को निम्नलिखित अर्हताएं एवं शर्तें पूर्ण करना आवश्यक है.

1. वह महाविद्यालय का नियमित संस्थागत विद्यार्थी हो.
2. उसकी महाविद्यालय में प्रवेश अवधि किसी भी दशा में उसके शैक्षिक वर्ष से अधिक न हो.
3. किसी भी कारण से, किसी भी वर्ष परीक्षा न दे पाने वाला, अनुत्तीर्ण, एक्स तथा कैजुअल विद्यार्थी पात्र नहीं होंगे.
4. पिछले शैक्षिक सत्र में प्राप्तांक 50% से कम न हों.
5. न्यायालय, प्राक्टोरिअल बोर्ड वा कालेज द्वारा किसी भी मामले में दण्डित न हुआ हो.
6. पिछले शैक्षिक सत्र में 50% से कम उपस्थिति न हो. (इसका प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त करें)
7. नामांकन के दिन (19 SEP 2016 को) प्रत्याशी की उम्र स्नातक के लिए 17 वर्ष से कम और 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए जब की परास्नातक के लिए 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

उपरोक्त योग्यता/योग्यताओं की असत्यता पाए जाने पर उम्मीदवारी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी.

Note:

1. परास्नातक में प्रत्येक विषय में एक कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव होगा.
2. स्नातक में प्रत्येक विषय के प्रत्येक सेक्शन में एक कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव होगा.
3. यदि किसी सेक्शन में छात्र संख्या १०० या उससे अधिक है तो वहां दो कक्षा प्रतिनिधियों का चुनाव होगा:
 - a. यदि सर्वाधिक मत प्राप्त प्रत्याशी छात्र है तो दूसरी विजेता छात्रा होगी एवं यदि सर्वाधिक मत प्राप्त प्रत्याशी छात्रा है तो दूसरा विजेता छात्र होगा.
 - b. प्रत्याशियों में से यदि केवल एक छात्र या एक छात्रा प्रत्याशी है तो उसे निर्विरोध निर्वाचित माना जायेगा.
4. अन्य (Transgender) विद्यार्थियों के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देश मान्य होगा.
5. छात्र संघ चुनाव से सम्बंधित सभी दस्तावेज़ महाविद्यालय की वेबसाइट (www.ecc.ac.in) पर उपलब्ध है जिन्हें छात्र छात्राएं डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं.

(डा. अनिल कुमार सिंह)

मुख्य चुनाव अधिकारी